क्रम-संख्या-68

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 323/79-वि-1-14-1(क)7-2014

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 17 फरवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (3) में,–

(क) शब्द "सत्रह अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "पच्चीस अन्य सदस्य" रख दिये जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द 'अल्पसंख्यक' का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) में परिभाषित है।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) का अधिनियमन राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में यह प्रावधान किया गया था कि आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे। चूँकि अन्य सदस्यों की उक्त संख्या अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं थी और उक्त आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त उपधारा को संशोधित करके अन्य सदस्यों की संख्या को सत्रह से बढ़ाकर पच्चीस करके यह व्यवस्था की जाय कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि उक्त आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग संशोधन अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0बी0 सिंह,

प्रमुख सचिव।

No. 323(2)/LXXIX-V-1–14-1(Ka)7-2014

Dated Lucknow, March 4, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhada Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 04, 2014.

E UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 4 OF 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 17, 2014.

Amendment of section 3 of President's Act no. 1 of 1996

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3),–

(a) *for* the words "seventeen other members" the words "twenty-five other members" shall be *substituted*;

(b) the following proviso and Explanation shall be *inserted*, in the end, namely:–

"Provided that at least one representative from minority community shall be nominated as member in the Commission.

Explanation:–For the purposes of this Act the word 'minority' shall have the same meaning as defined in the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 (U.P. Act no. 22 of 1994)."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 2 of 2014

3. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action is taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 (President's Act no. 1 of 96) has been enacted to constitute a Commission for Backward Classes other than the Scheduled Castes Scheduled Tribes in the State. Sub-section (3) of section 3 of the said Act provided that the mmission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other members nominated by State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity. Since the said number of r members was not sufficient to solve the problems of Other Backward Classes and there was no nber of the Other Backward Classes of minority community in the said Commission to represent them. as decided to amend the said sub-section to increase the number of other members from seventeen to nty-five and to provide that at least one representative from minority community shall be nominated as iber in the said Commission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to ement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes endment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 2 of 2014) was promulgated by the Governor on uary 17, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

S.B. SINGH,

Pramukh Sachiv.

यू०पी०–ए०पी० 814 राजपत्र(हि०)–2014–(1832)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
यू०पी०–ए०पी० 142 सा० विधायी–2014–(1833)–500 प्रतिया (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

4 Picchdda Verg Data 2